रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032026-271099
CG-DL-E-20032026-271099

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1333] **नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2026/फाल्गुन 27, 1947**
No. 1333] **NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2026/PHALGUNA 27, 1947**

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026

का.आ. 1398(अ).— सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी संग्रह नियम, 2024 के नियम 5 और 7 के साथ पठित, सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 (2009 का 7) तथा 2017(2017 का 21) एवं जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) में यथा संशोधित की धारा 3 और 4 द्वारा प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए, एतद द्वारा कॉर्पोरेट संस्थाओं, अर्थात् कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकृत संस्थाओं और व्यापार उद्यमों सहित सेवा क्षेत्र से संबंधित संस्थाओं से एक सांख्यिकीय सर्वेक्षण के माध्यम से सांख्यिकी संग्रह को निर्देशित करता है, जिसे इसके आगे 'निगमित सेवा क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआईएसएसई) - 2026' के रूप मे संदर्भित किया जाएगा, जैसा कि अनुसूची-I में उल्लिखित विवरण के अनुसार है।

2. मंत्रालय, उक्त निर्देश के संदर्भ में, उसमें निर्दिष्ट भौगोलिक इकाइयों के संबंध में अनुसूची-II में निर्दिष्ट व्यक्तियों को, साथ ही उनके कार्यालय में नामितियों को, सांख्यिकी अधिकारी के रूप में, अनुसूची-III में न्यायनिर्णायक अधिकारी के रूप में और अनुसूची-IV में अपीलीय प्राधिकरण के रूप में नियुक्त करता है। प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी, न्यायनिर्णायक अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी तत्काल निर्धारित प्रारूप में एक वचनबंध अर्थात्, सांख्यिकी संग्रह नियम, 2024 के परिशिष्ट में प्रपत्र- I, अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (क्षेत्र संकार्य प्रभाग) दिल्ली को प्रस्तुत करेंगे।

3. प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, सांख्यिकी अधिकारी को सांख्यिकी संग्रह नियम, 2024 के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप में एक वचनबंध प्रस्तुत करने के बाद, सूचनादाताओं द्वारा प्रस्तुत जानकारी के सत्यापन, प्रासंगिक

अभिलेखों के निरीक्षण और आवश्यकतानुसार सूचनादाताओं से स्पष्टीकरण मांगने के उद्देश्य से सांख्यिकी अधिकारी के भौगोलिक क्षेत्राधिकार में नियुक्त किये जाएंगे। ऐसा प्रत्येक प्राधिकृत व्यक्ति एक फोटो पहचान पत्र और संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र साथ लेकर जाएगा। सांख्यिकी अधिकारी प्राधिकृत व्यक्तियों के वचनबद्धताओं को अपनी सुरक्षा में रखेगा और उपरोक्त वचनबद्धता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र अपर महानिदेशक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (क्षेत्र संकार्य प्रभाग) दिल्ली के कार्यालय को भेजेगा।

4. सूचनादाताओं द्वारा प्रस्तुत निगमित सेवा क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआईएसएसई) - 2026 अनुसूची के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों को उचित सत्यापन और जांच के बाद, अपर महानिदेशक, उद्यम सर्वेक्षण प्रभाग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, कोलकाता के कार्यालय में काम करने वाले अधिकारियों द्वारा संसाधित किया जाएगा। सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 (2009 का 7) के प्रावधानों के अधीन, जैसा कि 2017 (2017 का 21) में संशोधित किया गया है और जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) और सांख्यिकी संग्रह नियम, 2024 के माध्यम से, इकाई-स्तरीय डेटा और सांख्यिकीय तकनीकों के माध्यम से उत्पन्न रिपोर्टों को मंत्रालय के उद्यम सर्वेक्षण प्रभाग और डेटा सूचना विज्ञान और नवाचार प्रभाग द्वारा संरक्षण में रखा जाए तथा उनके द्वारा सरकार के नीति निर्देशों के अनुसार सरकार तथा सरकार के बाहर के प्रयोगकर्ताओं, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा आम जनता के प्रयोग हेतु प्रसारित किया जाए।

5. निगमित सेवा क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआईएसएसई) - 2026 के संबंध में आंकड़ों के संग्रह, डेटा के प्रसंस्करण और उसके प्रसार से संबंधित किसी भी गतिविधि में लगे सभी व्यक्ति सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 के प्रावधानों, जैसा कि 2017 (2017 का 21) में संशोधित किया गया था और जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) और सांख्यिकी संग्रह नियम, 2024 के माध्यम से शासित हैं।

6. इस अधिसूचना के तहत नियुक्त सांख्यिकी अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कार्य सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 की धारा 3, 4 और 5 द्वारा शासित होंगे, जिसे सांख्यिकी संग्रह (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधित किया गया है, साथ ही सांख्यिकी संग्रह नियम, 2024 के प्रासंगिक प्रावधानों को भी ध्यान में रखा जाएगा। न्यायनिर्णायक अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति, शक्तियां और कार्य, जिसमें जांच का संचालन, दंड का न्यायनिर्णयन और अपीलों का निपटान शामिल है, जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 द्वारा उक्त अधिनियम में शामिल धारा 15ए और 15बी और साथ ही सांख्यिकी संग्रह नियम, 2024 के लागू प्रावधानों द्वारा भी शासित होंगे। उक्त अधिकारी उक्त अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।

अनुसूची-I

1. सांख्यिकी के संग्रह के लिए विषय और उद्देश्य

कॉर्पोरेट संस्थाओं के विकास, संरचना और संघतन से संबंधित आंकड़े, अर्थात् कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकृत संस्थाएं और व्यापार उद्यमों सहित सेवा क्षेत्र से संबंधित आकड़ों का संग्रहण निगमित सेवा क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआईएसएसई) - 2026 के माध्यम से किया जाएगा।

2. सांख्यिकी के संग्रह के लिए भौगोलिक क्षेत्र

निगमित सेवा क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआईएसएसई) - 2026 पूरे भारत में आयोजित किया जाएगा।

3. आकडा संग्रह की पद्धति

प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी अपने कार्यक्षेत्र में आने वाले सूचनादाताओं को एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें सूचना देने की तिथि, वह अधिकारी अथवा कार्यालय जिनको सूचना दी जानी है, वह इकाई अथवा इकाइयाँ जिनके संबंध में सूचना दी जानी है, उनका ब्यौरा तथा वह प्रपत्र और विधि जिनके अनुसार सूचना प्रदान की जानी अपेक्षित है, का उल्लेख होगा। इसमें इस उद्देश्य के लिए निरूपित तथा सूचनादाताओं के लिए नोटिस में दर्शाई गई निश्चित तिथि तक उपलब्ध कराए जाने वाले वेब पोर्टल/अनुप्रयोग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना प्रस्तुत करना भी शामिल होगा।

4. सूचनादाताओं की प्रकृति जिनसे आकडे एकत्र किया जाना है

सूचना देने वाले कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकृत कॉर्पोरेट संस्थाओं के मालिक, अधिभोगी, प्रबंधक या प्रभारी व्यक्ति होंगे और व्यापार उद्यमों सहित सेवा क्षेत्र से संबंधित होंगे, जो सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार जानकारी प्रस्तुत करेंगे।

5. समेकित जानकारी

सांख्यिकी अधिकारी, नोटिस द्वारा, एक विशिष्ट माल और सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) द्वारा पहचाने गए ऐसे उद्यम के संबंध में समेकित जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है, जो किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर संचालित होता है, जिसमें व्यवसाय का प्रमुख स्थान तथा चयनित जीएसटीआईएन से संबंधित व्यवसाय के सभी अतिरिक्त स्थान शामिल होंगे।

6. वह अवधि जिसके दौरान सांख्यिकी का संग्रह पूरा किया जा सकता है

प्रत्येक सूचना प्रदाता द्वारा सूचना प्रस्तुत करने की तिथि नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी और आम तौर पर अप्रैल, 2026 से मार्च, 2027 की अवधि के दौरान होगी।

7. संदर्भ अवधि

प्रस्तुत की जाने वाली सूचना उस वित्तीय वर्ष के लिए होगी जो 01 अप्रैल, 2024 से प्रारंभ होकर 31 मार्च, 2025 को समाप्त होता है, अथवा किसी इकाई के उस लेखा वर्ष के लिए जो 01 अप्रैल, 2024 और 31 मार्च, 2025 के बीच किसी भी तिथि को समाप्त होता है।

8. एकत्र की जाने वाली सूचना की प्रकृति

अपेक्षित सूचना परिसंपत्तियों और देयताओं; सेवाओं से प्राप्त प्राप्तियों; परिचालन तथा गैर-परिचालन व्ययों; माल और सेवाओं की खपत; प्रदान की गई सेवाओं की प्रकृति और प्रकार; वितरण तथा विपणन व्ययों; रोजगार तथा श्रम लागत; कार्य दिवस तथा कार्य घंटे; अनुपस्थिति; श्रम प्रवर्तन; सकल मूल्य वर्धन; कर्मचारियों की आय तथा सामाजिक सुरक्षा लाभ; तथा उद्यम की परिचालन विशेषताओं से संबंधित होगी, जिनमें गतिविधि, स्वामित्व, संचालन का पैमाना, परिसंपत्ति आधार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग तथा लेखा अवधि के दौरान हरित अर्थव्यवस्था अथवा स्वच्छ प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाना शामिल है।

9. वेब पोर्टल की भाषा

सूचनादाता वेब पोर्टल में सूचना प्रस्तुत करेगा, जो प्रकृति में द्विभाषी (अंग्रेजी अथवा हिंदी) होगा।

10. सूचनादाता का दायित्व

किसी उद्यम का स्वामी, अधिभोगी, प्रबंधक अथवा प्रभारी व्यक्ति संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में निर्दिष्ट विधि तथा तिथि तक सूचना प्रदान करेगा तथा अपेक्षित होने पर निरीक्षण के लिए संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करेगा और मांगी गई सूचना से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देगा, जैसा कि सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित किया जाए।

11. निरीक्षण के अधीन व्यवसायिक अभिलेखों की प्रकृति

किसी उद्यम के व्यवसायिक अभिलेख, जिनमें बैलेंस शीट, लाभ-हानि खाता, मस्टर रोल, उपस्थिति रजिस्टर, श्रम रजिस्टर, वेतन नामावली, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट अथवा प्रदान की गई सूचना के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज शामिल हैं, का निरीक्षण सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

12. निरीक्षण की विधि

सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति उद्यम के उन परिसरों में, जहाँ ऐसे अभिलेख रखे जाते हैं, व्यवसायिक अभिलेखों तथा अन्य संबंधित अभिलेखों के आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का सत्यापन कर सकता है और आवश्यक स्पष्टीकरण उद्यम के स्वामी, अधिभोगी, प्रबंधक या प्रभारी व्यक्ति अथवा इस प्रयोजन के लिए उद्यम द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति से प्राप्त कर सकता है।

13. सूचना के उपयोग पर प्रतिबंध

सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 की धारा 9 के अनुसार, सांख्यिकी संग्रह नियम, 2024 के लागू प्रावधानों के साथ, निगमित सेवा क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआईएसएसई) - 2026 के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी का उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और इसे पहचान योग्य रूप में प्रकाशित, प्रकट या अन्यथा प्रसारित नहीं किया जाएगा ।

अनुसूची-II

क्रम सं.	सांख्यिकी अधिकारी	क्षेत्राधिकार	पता
1.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जम्मू	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र) और लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	एनएसओ (एफओडी), 23 बी/बी, गांधी नगर, जम्मू-180004
2.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला	हिमाचल प्रदेश	एनएसओ (एफओडी), बोसवेल विला, दीपक प्रोजेक्ट के पास, पोस्ट ऑफिस समर हिल, शिमला-171005
3.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, मोहाली	पंजाब	एनएसओ (एफओडी), बिल्डिंग नं. 418, थोक सामग्री मार्केट, सेक्टर-65, फेज-11, एसएएस नगर, मोहाली-160065
4.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़	हरियाणा और चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	एनएसओ (एफओडी), छठा तल, केंद्रीय सदन, सेक्टर-9ए, चंडीगढ़-160017
5.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली	दिल्ली	एनएसओ (एफओडी), सांख्यिकीय भवन, डी-ब्लॉक, चौथा तल, जीपीओए बिल्डिंग, सीबीडी शाहदरा, कड़कड़डूमा कोर्ट के निकट, दिल्ली-110032
6.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर	राजस्थान	एनएसओ (एफओडी), 70/149-154, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर-302020
7.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून	उत्तराखंड	एनएसओ (एफओडी), सी-104-109, द्वितीय तल, वैभव पैलेस, आईटीबीपी रोड, देहरादून, उत्तराखंड-248006
8.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	एनएसओ (एफओडी), आईएनएस-IV, सेक्टर-11, विकास नगर, रिंग रोड, लखनऊ-226022
9.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल	मध्य प्रदेश	एनएसओ (एफओडी), विजय स्तम्भ, हाल संख्या 201 एवं 205, द्वितीय तल, एमपी नगर, जोन-1, भोपाल-462011
10.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	छत्तीसगढ	एनएसओ (एफओडी), द्वितीय तल ,भक्त माता कर्मा व्यवसायिक परिसर, रूम नंबर 8-25, न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर-492001
11.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, अहमदाबाद	गुजरात, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	एनएसओ (एफओडी), अर्बन हेल्थ सेंटर के पास, नारायणपुरा पुलिस स्टेशन के पीछे, पुरुषोत्तम नगर, नवा वडास, अहमदाबाद-380013
12.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई	महाराष्ट्र	एनएसओ (एफओडी), चौथा तल, ए-2/3 विंग, निकट कोंकण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400614

क्रम सं.	सांख्यिकी अधिकारी	क्षेत्राधिकार	पता
13.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा	आंध्र प्रदेश	एनएसओ (एफओडी), पांचवा तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्रियल एस्टेट, ऑटोनगर, विजयवाड़ा-520007
14.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद	तेलंगाना	एनएसओ (एफओडी), 293/7, प्रथम तल, आर एंड बी कॉम्प्लेक्स, एसी गार्ड्स, हैदराबाद-500004
15.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु	कर्नाटक	एनएसओ (एफओडी), पांचवा तल, ई एंड एफ विंग, केंद्रीय सदन, 17 मेन-द्वितीय ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलुरू-560034
16.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई	तमिलनाडु और पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	एनएसओ (एफओडी), 'बी' विंग, द्वितीय तल, III ब्लॉक, शास्त्री भवन, हैडोस रोड, नुंगमबक्कम, चेन्नई-600006
17.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	केरल और लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	एनएसओ (एफओडी), ब्लॉक बी, ग्राउंड फ्लोर, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, पूनकुलम, वेल्लयानी पी.ओ., तिरुवनंतपुरम-695522
18.	निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पणजी	गोवा एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)	एनएसओ(एफओडी), सर्वेक्षण भवन, 1309/1, गोवा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पोरवोरिन, बर्देज़, गोवा-403521
19.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	बिहार	एनएसओ(एफओडी), 7वां तल, ब्लॉक- डी और ई, कर्पूरी ठाकुर सदन, जीपीओए बिल्डिंग, राजीव नगर थाने के पास, आशियाना दीघा रोड, पटना-800025
20.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची	झारखंड	एनएसओ (एफओडी), 5वां तल, जिला परिषद भवन, रांची नगर निगम के पास, कचहरी सड़क, रांची-834001
21.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	एनएसओ (एफओडी), सीजीओ कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल, ई-विंग, डीएफ ब्लॉक, सेक्टर-I, सा ल्ट लेक सिटी, कोलकाता-700064
22.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर	ओडिशा	एनएसओ (एफओडी), वाणिज्यिक परिसर, प्रथम तल, आचार्य विहार, भुवनेश्वर-751013
23.	निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी	असम	एनएसओ (एफओडी), तृतीय तल, केंद्रीय ब्लॉक, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, बसिष्ठा रोड, दिसपुर, गुवाहाटी-781006
24.	निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, इंफाल	मणिपुर	एनएसओ (एफओडी), थांगमेइबंद लौरुंग प्यूरेल लेइकाई, इमईमोइनूसनासंगलेन, इम्फ़ाल-795001
25.	निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कोहिमा	नगालैंड	एनएसओ (एफओडी), ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस बिल्डिंग, नागालैंड सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने, कोहिमा-797004

क्रम सं.	**सांख्यिकी अधिकारी**	**क्षेत्राधिकार**	**पता**
26.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, अगरतला	त्रिपुरा और मिजोरम	एनएसओ (एफओडी), श्री राम विला, एसबीआई के पास, पीओ कुंजाबन अगरतला, त्रिपुरा-799006
27.	निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, गंगटोक	सिक्किम	एनएसओ (एफओडी), आरओ गंगटोक, रिंजिंग बिल्डिंग, गैरिगांव, पोस्ट ऑफिस ताडोंग, गंगटोक, सिक्किम-737102
28.	निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, ईटानगर	अरुणाचल प्रदेश	एनएसओ (एफओडी), पहली मंज़िल, एनएसओ बिल्डिंग, गेलम मेमोरियल हाई स्कूल के पास, एसआरपीएल कॉलोनी, चंद्रनगर पेट्रोल पंप, एनएच 415, ईटानगर-791113
29.	उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, शिलांग	मेघालय	एनएसओ (एफओडी), आरओ शिलांग, बिशप कॉटन रोड, सीआरपीएफ बंगले के पास, शिलांग-793001

अनुसूची- III

क्रम सं.	**न्यायनिर्णायक अधिकारी**	**क्षेत्राधिकार**	**पता**
1.	उपमहानिदेशक, उत्तरी अंचल, जयपुर	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र) और लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र), हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र), दिल्ली और राजस्थान	एनएसओ (सीक्यूसीडी), 55, केशव नगर, लेन नंबर 3, हवा सड़क, जयपुर-302019
2.	उपमहानिदेशक, मध्य अंचल, लखनऊ	उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	एनएसओ (सीक्यूसीडी), आईएनएस-IV, सैक्टर–11, विकास नगर, रिंग रोड, लखनऊ-226022
3.	उपमहानिदेशक, पश्चिमी अंचल, नागपुर	छत्तीसगढ़, गुजरात, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (संघ राज्य क्षेत्र) और महाराष्ट्र	एनएसओ (सीक्यूसीडी), सीजीओ कॉम्प्लेक्स, ए-ब्लॉक, ईस्ट विंग, तीसरा तल, सेमिनरी हिल्स, नागपुर-440006
4.	उपमहानिदेशक, दक्षिणी अंचल, बेंगलुरु	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक	एनएसओ (सीक्यूसीडी), दूसरा तल, बी-विंग, केंद्रीय सदन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, कोमारमंगला, बेंगलुरु-560034
5.	उपमहानिदेशक, पूर्वी अंचल, कोलकाता	बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड त्रिपुरा और मिजोरम	एनएसओ (सीक्यूसीडी), छटवां तल, महलनोबिस भवन, 164, जीएलटी रोड, कोलकाता-700108

अनुसूची- IV

क्रम सं.	अपील प्राधिकारी	क्षेत्राधिकार	पता
1.	अपर महानिदेशक, एनएसओ (एफओडी) मुख्यालय, दिल्ली	सम्पूर्ण भारत	एनएसओ (एफओडी) मुख्यालय, सांख्यिकी भवन, डी-ब्लॉक, प्रथम तल, जीपीओए बिल्डिंग, सीबीडी शाहदरा, दिल्ली-110032

[फा.सं. एम-12011/8/2024/ASSSE (ई-68445)]

सौम्या पी. कुमार, उपमहानिदेशक

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2026

S.O. 1398(E).— In exercise of the powers conferred by sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009), as amended in 2017 (21 of 2017) and through the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2024, the Ministry of Statistics & Programme Implementation hereby directs Collection of Statistics from corporate entities, namely entities registered under companies Act, 1956 or companies Act, 2013 or Limited Liability Partnership Act, 2008 and belonging to service sector including trading enterprises through a statistical survey, hereinafter referred to as 'Annual Survey of Incorporated Services Sector Enterprises (ASISSE) - 2026', as per the details mentioned in the Schedule-I.

2. The Ministry further appoints the persons, as also their assignee in office, specified in Schedule-II as Statistics Officers, in Schedule-III as the Adjudicating Officer, and in Schedule-IV as the Appellate Authority, in respect of the geographical units specified therein, with reference to the aforesaid direction. Each Statistics Officer, Adjudicating Officer and Appellate Authority shall immediately submit an undertaking in the prescribed format, namely, Form-I appended to the Collection of Statistics Rules, 2024, to the Additional Director General, Field Operations Division, National Statistics Office, Delhi.

3. The persons authorised by each Statistics Officer, after submission of an undertaking in the prescribed format, namely Form-I appended to the Collection of Statistics Rules, 2024, to the Statistics Officer, shall be engaged in the geographical jurisdiction of the Statistics Officer for the purpose of verification of information furnished by informants, inspection of relevant records, and seeking clarifications from informants as may be necessary. Each such authorised person shall carry a photo identity card and a letter of authorisation issued by the concerned Statistics Officer. The Statistics Officer shall keep the undertakings of the authorised persons in his safe custody and shall forward a certificate of having obtained the above undertakings to the Office of the Additional Director General, Field Operations Division, National Statistics Office, Delhi.

4. The statistics collected through the Annual Survey of Incorporated Services Sector Enterprises (ASISSE) - 2026 schedule furnished by the informants, after due verification and scrutiny, shall be processed by the officials working in the Office of the Additional Director General, Enterprise Survey Division, National Statistics Office, Kolkata. Subject to the provisions of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009), as amended in 2017 (21 of 2017) and through the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), and the Collection of Statistics Rules, 2024, the unit-level data and the reports generated therefrom through statistical techniques may be kept in custody and disseminated by the Enterprise Survey Division and the Data Informatics and Innovation Division of the Ministry to users within and outside the Government, including the States or Union Territories and the public at large, in accordance with the policy guidelines of the Government of India.

5. All persons engaged in any activity relating to the collection of statistics, processing of data and dissemination thereof in respect of the Annual Survey of Incorporated Services Sector Enterprises (ASISSE) - 2026 are governed by the provisions of the Collection of Statistics Act, 2008, as amended in 2017 (21 of

2017) and through the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), and the Collection of Statistics Rules, 2024.

6. The appointment, powers and functions of the Statistics Officers appointed under this notification shall be governed by sections 3, 4 and 5 of the Collection of Statistics Act, 2008, as amended by the Collection of Statistics (Amendment) Act, 2017, read with the relevant provisions of the Collection of Statistics Rules, 2024. The appointment, powers and functions of the Adjudicating Officer and the Appellate Authority, including the conduct of inquiry, adjudication of penalties and disposal of appeals, shall be governed by sections 15A and 15B, as incorporated in the said Act by the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023, read with the applicable provisions of the Collection of Statistics Rules, 2024. The said officers shall exercise such powers and discharge such duties in accordance with the provisions of the aforesaid Act and Rules.

SCHEDULE-I

1. Subject and Purpose for Collection of Statistics

Statistics relating to the growth, composition and structure of corporate entities, namely entities registered under the Companies Act, 1956 or the Companies Act, 2013 or the Limited Liability Partnership Act, 2008, and belonging to the services sector including trading enterprises, shall be collected through the Annual Survey of Incorporated Services Sector Enterprises (ASISSE) - 2026.

2. Geographical Area for Collection of Statistics

The Annual Survey of Incorporated Services Sector Enterprises (ASISSE) - 2026 shall be conducted in the whole of India.

3. Method of Data Collection

A notice shall be issued by each Statistics Officer to informants under his jurisdiction, indicating therein the date by which, the officer or office to whom, the unit or units for which, and the format and manner in which information shall be required to be furnished, including submission in electronic form through a web-based application or portal designed for the purpose and made available to informants up to a certain date, specified in the notice.

4. Nature of Informants from Whom Data May Be Collected

The informants shall be the owner, occupier, manager or person in charge of corporate entities registered under the Companies Act, 1956 or the Companies Act, 2013 or the Limited Liability Partnership Act, 2008, and belonging to the services sector including trading enterprises, who shall furnish information pursuant to the notice issued by the Statistics Officer.

5. Consolidated Information

A Statistics Officer may, by notice, require furnishing of consolidated information in respect of an enterprise identified by a specific Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN) operating within a State or Union Territory, covering the principal place of business and all additional places of business pertaining to the selected GSTIN.

6. Period During Which Collection of Statistics May Be Completed

The date for submission of information by each informant shall be specified in the notice and shall generally fall during the period from April, 2026 to March, 2027.

7. Reference Period

Information shall be furnished for the financial year commencing on 1st April, 2024 and ending on 31st March, 2025, or for the accounting year of a unit ending on any date between 1st April, 2024 and 31st March, 2025.

8. Nature of Information to Be Collected

The information required shall relate to assets and liabilities; receipts from services; operating and non-operating expenses; consumption of goods and services; nature and type of services rendered; distributive and marketing expenses; employment and labour cost; working days and hours; absenteeism; labour turnover; gross value added; earnings and social security benefits of employees; and operational

characteristics of the enterprise, including activity, ownership, scale of operation, asset base, use of Information and Communication Technology (ICT), and adoption of green economy or clean technology practices during the accounting period.

9. Language of the Web Portal

An informant shall furnish information in web-portal which is bilingual (English or Hindi) in nature.

10. Obligation of Informant

The owner, occupier, manager or person in charge of an enterprise shall furnish the information in the manner and by the date specified in the notice issued by the concerned Statistics Officer, and shall produce such relevant records for inspection and answer such questions relating to the information sought as may be required by the Statistics Officer or a person authorised by him.

11. Nature of Business Records Subject to Inspection

The business records of an enterprise, including the balance sheet, profit and loss account, muster rolls, attendance registers, labour registers, payrolls, auditor's report, or any other document in support of the information furnished, may be inspected by the Statistics Officer or a person authorised by him.

12. Manner of Inspection

The Statistics Officer or a person authorised by him may verify the information furnished on the basis of the business records and other relevant records of the enterprise at the premises where such records are kept, and may seek such clarifications as may be necessary from the owner, occupier, manager or person in charge of the enterprise or any person authorised by the enterprise in this behalf.

13. Restriction on Use of Information

In accordance with section 9 of the Collection of Statistics Act, 2008 read with the applicable provisions of the Collection of Statistics Rules, 2024, the information collected through the Annual Survey of Incorporated Services Sector Enterprises (ASISSE) - 2026 shall be used solely for statistical purposes and shall not be published, disclosed or otherwise disseminated in identifiable form.

SCHEDULE-II

S.No.	Statistics Officer	Jurisdiction	Address
1.	Deputy Director General, Regional Office, Jammu	Jammu & Kashmir (UT) & Ladakh (UT)	NSO(FOD), 23 B/B, Gandhi Nagar, Jammu-180004
2.	Deputy Director General, Regional Office, Shimla	Himachal Pradesh	NSO (FOD), Bosewell Villa, Near Deepak Project, PO Summer Hill, Shimla-171005
3.	Deputy Director General, Regional Office, Mohali	Punjab	NSO (FOD), Building No. 418, Bulk Material Market, Sector-65, Phase-11, SAS Nagar, Mohali-160065
4.	Deputy Director General, Regional Office, Chandigarh	Haryana & Chandigarh (UT)	NSO(FOD), 6th floor, Kendriya Sadan, Sec-9A, Chandigarh -160017
5.	Deputy Director General, Regional Office, Delhi	Delhi	NSO (FOD), Sankhyiki Bhawan, D-Block, 4th Floor, GPOA Building, CBD Shahdara, GNDelhi-110032
6.	Deputy Director General, Regional Office, Jaipur	Rajasthan	NSO(FOD), 70/149-154, Patel Marg, Mansarovar, Jaipur-302020

S.No.	Statistics Officer	Jurisdiction	Address
7.	Deputy Director General, Regional Office, Dehradun	Uttarakhand	NSO(FOD), C-104-109, 2nd Floor, Vaibhav Palace, ITBP Road, Dehradun, Uttrakhand-248006
8.	Deputy Director General, Regional Office, Lucknow	Uttar Pradesh	NSO(FOD), INS-IV, Sector-11, Vikas Nagar, Ring Road, Lucknow-226022
9.	Deputy Director General, Regional Office, Bhopal	Madhya Pradesh	NSO(FOD), Vijay Stambh, Hall No. 201 & 205, 2nd Floor, M.P. Nagar, Zone-I, Bhopal-462011
10.	Deputy Director General, Regional Office, Raipur.	Chhattisgarh	NSO (FOD), 2nd Floor, Bhakta Mata Karma Commercial Complex, Room No.8-25, New Rajendra Nagar, Raipur-492001
11.	Deputy Director General, Regional Office, Ahmedabad	Gujarat, Dadra and Nagar Haveli & Daman and Diu (UT)	NSO (FOD), Near Urban Health Centre, Behind Narayanpura Police Station, PurshotamNagar, NavaVadas, Ahmedabad-380013
12.	Deputy Director General, Regional Office, Mumbai	Maharashtra	NSO (FOD), 4th Floor, A-2/3 Wing, Near Konkan Bhawan, CGO Complex Building, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614
13.	Deputy Director General, Regional Office, Vijayawada	Andhra Pradesh	NSO(FOD),5th floor, C.G.O. Complex,Industrial estate, Autonagar, Vijayawada-520007
14.	Deputy Director General, Regional Office, Hyderabad	Telangana	NSO (FOD), 293/7, 1st Floor, R&B Complex, A.C. Guards, Hyderabad-500004
15.	Deputy Director General, Regional Office, Bengaluru	Karnataka	NSO (FOD), V Floor, E&F Wing, Kendriya Sadan, 17 Main-2nd Block, Koramangala, Bengaluru-560034
16.	Deputy Director General, Regional Office, Chennai	Tamil Nadu and Puducherry (UT)	NSO (FOD), 'B' Wing, II Floor, III Block, Shastri Bhawan, Haddows Road, Nungambakkam, Chennai-600006
17.	Deputy Director General, Regional Office, Thiruvananthapuram	Kerala and Lakshadweep (UT)	NSO (FOD), Block B, Ground Floor, CGO Complex, Poonkulam, Vellayani P.O., Thiruvananthapuram -695522
18.	Director, Regional Office, Panaji	Goa and Andaman & Nicobar Islands (UT)	NSO(FOD), Sarvekshana Bhavan, 1309/1, Goa Housing Board Colony, Porvorin, Bardez, Goa-403521
19.	Deputy Director General, Regional Office, Patna	Bihar	NSO(FOD), 7th Floor, Block- D & E, Karpuri Thakur Sadan, GPOA Building, Near Rajiv Nagar Thana, Ashiyana Digha Road, Patna– 800025
20.	Deputy Director General, Regional Office, Ranchi	Jharkhand	NSO (FOD), 5th Floor, Zila Parishad Bhawan, Beside Ranchi Nagar Nigam, Kutchery Road, Ranchi -834001
21.	Deputy Director General, Regional Office, Kolkata	West Bengal	NSO (FOD), CGO Complex, 2nd Floor, E-Wing, DF Block, Sector-I, Salt Lake City, Kolkata-700064

S.No.	Statistics Officer	Jurisdiction	Address
22.	Deputy Director General, Regional Office, Bhubaneshwar	Odisha	NSO (FOD), Commercial Complex, 1st Floor, Acharya Vihar, Bhubaneswar-751013
23.	Director, Regional Office, Guwahati	Assam	NSO (FOD), 3rd Floor, Central Block, Housefed Complex, Basistha Road, Dispur, Guwahati-781006
24.	Director, Regional Office, Imphal	Manipur	NSO(FOD),Thangmeiband Lourung Purel Leikai, Imaemoinusanasanglen, Imphal-795001
25.	Director, Regional Office, Kohima	Nagaland	NSO(FOD), Transport Commissioner's Office Building. Opposite Nagaland Civil Secretariat, Kohima-797004
26.	Deputy Director General, Regional Office, Agartala	Tripura and Mizoram	NSO(FOD), Sree Ram villa, near SBI, PO Kunjaban Agartala, Tripura-799006
27.	Director, Regional Office, Gangtok	Sikkim	NSO (FOD), RO Gangtok, Rinzing Building, Gairigaon,P.O Tadong, Gangtok, Sikkim-737102
28.	Director, Regional Office, Itanagar	Arunachal Pradesh	NSO (FOD), 1st Floor, NSO Building Near Gellam Memorial High School, S.R.P.L Colony Chandranagar Petrol Pump, NH 415, Itanagar-791113
29.	Deputy Director General, Regional Office, Shillong	Meghalaya	NSO(FOD), RO Shillong, Bishop Cotton Road, near CRPF Bungalow, Shillong -793001

SCHEDULE-III

S.No.	Adjudicating Officer	Jurisdiction	Address
1.	Deputy Director General, Northern Zone, Jaipur	Jammu & Kashmir (UT) & Ladakh (UT), Himachal Pradesh, Punjab, Haryana and Chandigarh (UT), Delhi and Rajasthan	NSO(CQCD), 55, Keshav Nagar, Lane No.-3, Hawa sadak, Jaipur-302019.
2.	Deputy Director General, Central Zone, Lucknow	Uttarakhand, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh	NSO(CQCD), INS-IV, Sector-11, Vikas Nagar, Ring Road, Lucknow-226022.
3.	Deputy Director General, Western Zone, Nagpur	Chhattisgarh, Gujarat, Dadra and Nagar Haveli & Daman and Diu (UT) and Maharashtra,	NSO(CQCD), CGO Complex, A- Bock, Eat Wing, 3rd Floor, Seminary Hills, Nagpur-440006
4.	Deputy Director General, Southern Zone, Bangaluru	Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka,	NSO(CQCD), 2nd floor, B-Wing, Kendriya Sadan,CGO Complex, Komarmangala, Bengaluru-560034.
5.	Deputy Director General, Eastern Zone, Kolkata	Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, Assam, Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Sikkim, Nagaland Tripura and Mizoram	NSO(CQCD), 6th Floor, Mahalnobis Bhawan, 164, G.L.T. Road, Kolkata-700108.

SCHEDULE-IV

S.No.	Appellate Authority	Jurisdiction	Address
1.	Additional Director General, NSO(FOD), HQ., Delhi	All India	NSO (FOD) Hq, Sankhyiki Bhwan, D-Block, 1th Floor, GPOA Building, CBD Shahdara, Delhi-110032.

[F. No. M-12011/8/2024/ASSSE (E-68445)]

SOUMYA P. KUMAR, Dy. Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.03.20 15:38:02 +05'30'